मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 87/2024

1. तरूण कुमार बोथरा उम्र 40 वर्ष पुत्र मूलचन्द बोथरा, जाति बोथरा, साकिन मण्डी पीलीबंगा हाल निवासी 53 आनन्द नगर सिरसी रोड बाईपास जयपुर, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान।

–– वादी

–:बनामः–

1. बुलबुल बोथरा पत्नी मूलचन्द बोथरा, जाति बोथरा, साकिन मण्डी पीलीबंगा हाल निवासी 53 आनन्द नगर नजदीक 200 फीट खातीपुरा सिरसी रोड बाईपास झोटवाडा जयपुर, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान।
2. पुजा जैन पुत्री मूलचन्द बोथरा, जाति बोथरा, साकिन मण्डी पीलीबंगा हाल आगरवाल लाईफस्टाईल चिखल डोंगरे रोड ग्लोबल सिटी विहार वेस्ट, पालगर (महाराष्ट्र)।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 26/9/2024

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सदाम हुसैन इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए सहमति व ईकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे चक 30 एसटीजी के खाता 92/83 के प.न. 29/319 (7) के किला न. 6/1/0.101, 7/1/0.101, 8/1/0.101, 13/1/0.063, 13/2/.190, 15/1/.202, 15/2/.051, 16/1/.202, 16/2/.051, 17/.253, 18/. 253, 19/2/.089 कुल 1.910 हैक्. खातेदारी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के पिता का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:25:37 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा